अध्याय IV- भारतीय तटरक्षक

4.1 इनशोर गश्ती पोतों के अधिग्रहण में विलम्ब

प्रक्रियात्मक विलम्बों के कारण तटरक्षक के लिए वर्तमान 13 इनशोर गश्ती पोतों (आईपीवीज़) को नामांकन आधार पर समय से बदलने के लिए आईपीवीज़ की प्राप्ति लाभदायक नहीं हो पाई जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2008 से जुलाई 2013 के मध्य सेवा से हटाए गए 13 आईपीवीज़ में से आठ आईपीवीज़ को चार से 60 माह के विलंब के पश्चात् ही प्रतिस्थापित किया जा सका, जबकि शेष पाँच आईपीवीज़ की प्रतिस्थापना को प्राप्त नहीं किया जा सका, जिस कारण तटरक्षक की परिचालन क्षमता सीमित हो गई।

इनशोर गश्ती पोत (आईपीवीज़) मध्यम श्रेणी के जहाज़ हैं जो उच्च गति अवरोधन, तटीय निगरानी एवं खोज/बचाव कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। तटरक्षक (सीजी) के पास 13 आईपीवीज़ थे, जो फरवरी 1984 तथा नवम्बर 1990 के मध्य सेवा में लाए गए थे, जो 15 वर्ष के जीवनकाल के लिए निर्दिष्ट थे।

पुराने पोतों को बदलने के लिए, तटरक्षक मुख्यालय (सीजीएचक्यू) ने 16 आईपीवीज़ (13 बदलने के लिए तथा 3 नए) की खरीद के लिए एक मामला आगे बढ़ाया (नवम्बर 2005)। रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) ने प्रत्येक आठ आईपीवीज़ के निर्माण हेतु मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता (मैसर्स जीआरएसई) तथा मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा (मैसर्स जीएसएल) के नामांकन हेतु सीजी को सिफारिश की (दिसम्बर 2005)। दो गोदीबाड़ों के नामांकन का उद्देश्य जहाज़ों की शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित करना तथा पोतों के प्रतिस्थापन हेतु वर्ष 2009/2010 की समय सीमा बनाए रखना था। अपनी सिफारिशों में, डीडीपी ने कहा कि मैसर्स जीएसएल डिलीवरी कार्यक्रम को पूरा करने की स्थिति में था बशर्ते आर्डर उसी वित्तीय वर्ष अर्थात 2005-06 में दिया जाए।

आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन), रक्षा अधिप्राप्ति परिषद (डीएसी) द्वारा अगस्त 2006 में प्रदान की गई थी तथा डीडीपी की सिफारिशें, मार्च 2006 में समय सीमा के बीत जाने के मद्देनज़र सीजीएचक्यू द्वारा पुनः मांगी गई थी क्योंकि डीडीपी द्वारा इसकी सिफारिश की गई

थी। डीडीपी ने 16 आईपीवीज़ के निर्माण हेतु मैसर्स जीएसएल तथा मैसर्स जीआरएसई के नामांकन की पुनः सिफारिश की (अक्तूबर 2006)। तत्पश्चात् रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा अनुमोदन (फरवरी 2007) के पश्चात् मैसर्स जीआरएसई तथा मैसर्स जीएसएल को वाणिज्यिक प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया था (फरवरी 2007)। आरएफपी में दो गोदीबाड़ों के बीच आदेशित मात्रा बांटने का प्रावधान था बशर्ते एल-2 गोदीबाड़ा एल-1 की अन्तिम तय लागत के अनुरुप हो।

बोलियां दोनों विक्रताओं अर्थात मैसर्स जीआरएसई तथा मैसर्स जीएसएल से प्राप्त हुई थी (मार्च 2007)। अनुबंध वार्तालाप समिति (सीएनसी) ने मार्च 2007 में 16 आईपीवीज़ के लिए ₹973.24 करोड़ की अन्तिम रुप से तय की गई मूल लागत पर मैसर्स जीआरएसई को एल-1 के रुप में घोषित किया। तथापि, रक्षा खरीद बोर्ड ने तय कीमत, पिछली क्रय कीमत की तुलना में अधिक पाई (जून 2007) तथा मामला पुनः वार्तालाप के लिए सीएनसी को वापिस भेज दिया गया। उसके पश्चात्, सीएनसी ने 16 आईपीवीज़ की मूल कीमत पुनः समझौता वार्तालाप द्वारा ₹973.24 करोड़ से ₹968.33 करोड़ करने के लिए लगभग 13 महीने (अगस्त 2007 से सितम्बर 2008) मैसर्स जीआरएसई के साथ लम्बी बातचीत की।

जबकि वार्तालाप बातचीत चल रही थी, पहले से निर्धारित चल रही प्रतिबद्धताओं के कारण आईपीवीज़ के निर्माण में भाग लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए मैसर्स जीएसएल ने बोलियों की वैधता की समाप्ति के पश्चात् अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया (जुलाई 2007) जिसके कारण एकल विक्रेता स्थिति उत्पन्न हुई।

सुरक्षा मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने तीन महीने के अन्दर शेष आठ आईपीवीज़ के लिए बहु-विक्रेता आरएफपी जारी करने के निर्देशों के साथ, पुर्ज़ों सहित, रु 532.79 करोड़ की कुल कीमत पर मैसर्स जीआरएसई से शेष आठ आईपीवीज़ की खरीद के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया (मार्च 2009)। आठ आईपीवीज़ के लिए मैसर्स जीआरएसई के साथ अनुबंध किया गया था (मार्च 2009), जिसके अनुसार पहली आईपीवीज़ अगस्त 2011 में दी जानी थी तथा सभी आठ आईपीवीज़ की डिलीवरी मई 2013 तक पूरी की जानी थी।

शेष आठ आईपीवीज़ के लिए बहु-विक्रेता आरएफपी जारी करने के लिए सीसीएस के निर्देशों (मार्च 2009) के बावजूद, आरएफपी केवल चार डीपीएसयू/पीएसयू के गोदीबाड़ों[1] को जारी की

[1] (1) मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्चि, (2) मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, (एचएसएल), विशाखापत्तनम, (3) मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), कोलकाता तथा (4) मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), गोवा।

गई थी (नवम्बर 2009) तथा तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव, सभी चार विक्रताओं से प्राप्त हुए थे (मार्च 2010)। बाद में, सीएनसी ने एल-1 मेसर्स एचएसएल से ₹551.12 करोड़ की कुल कीमत पर पुर्ज़ों सहित आठ आईपीवीज़ खरीदने की सिफारिश की (नवम्बर 2010)। सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) के अनुमोदन (फरवरी 2011) के पश्चात्, आठ आईपीवीज़ के लिए मैसर्स एचएसएल के साथ अनुबंध पूरा किया गया था (मार्च 2011), जिसके अनुसार पहली आईपीवी की आपूर्ति अगस्त 2013 में तथा अनुवर्ती पोतों की आपूर्ति तीन महीने के समवर्ती अन्तराल में की जानी थी।

इस संबंध में, हमने देखा (मई 2013 तथा अप्रैल 2015) कि :

- सीजीएचक्यू/एमओडी ने 11-16 महीने की निर्धारित अवधि के प्रति मैसर्स जीआरएसई के साथ अनुबंध करने के लिए 40 महीने लिए जिसमें से डीपीपी में निर्धारित एक महीने के बजाए एओएन प्रदान करने के लिए 13 महीने लिए गए थे। इसके अतिरिक्त, डीपीपी के अनुसार 3 से 5 महीने के प्रति लगभग 18 महीने समझौता वार्तालाप करने के बाद भी सीएनसी ₹4.91 करोड़ की ही छूट प्राप्त कर सकी। इसके परिणामस्वरुप, मैसर्स जीएसएल द्वारा बोलियां वापिस लेनी पड़ी जिसके कारण एल-2 फर्म यानि मैसर्स जीएसएल के साथ शेष आईपीवीज़ के लिए तथा समय का लाभ उठाने के लिए समझौता वार्तालाप करने का अवसर समाप्त हो गया।
- मैसर्स जीआरएसई द्वारा आईपीवीज़ की आपूर्ति अगस्त 2011 से मई 2013 तक की जानी थी परन्तु वास्तव में जनवरी 2012 तथा अक्तूबर 2013 के बीच आपूर्त की गई थी जबकि मैसर्स एचएसएल द्वारा परियोजना के लिए डिज़ाईन/डिज़ाईनर को अन्तिम रुप देने में गोदीबाड़े की अक्षमता के कारण कोई भी आईपीवीज़ आपूर्त नहीं की गई थी। मैसर्स एचएसएल द्वारा आपूर्त किए जाने के लिए पहली आईपीवी की आपूर्ति 40 महीने के विलम्ब के पश्चात् दिसम्बर 2016 में पुनः आपूर्तित की जानी निर्धारित की गई है।

हमारी टिप्पणियों के उत्तर में सीजीएचक्यू ने कहा (जुलाई 2013) कि विलम्ब, परियोजना के चरणों में अनुमोदन के कारण हुआ था तथा सीएनसी द्वारा लगाया गया समय एक उचित लागत पर पहुंचने के लिए लक्षित विस्तृत विचार-विमर्श के कारण था। यह भी कहा गया था कि बोलियों की वापसी के लिए मैसर्स जीएसएल का निर्णय विभिन्न परियोजनाओं पर चल रही पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धताओं तथा साथ में उन के पास उपलब्ध निर्माण सुविधाओं पर आधारित था। इसके अतिरिक्त, केवल डीपीएसयू/पीएसयू गोदीबाड़ों को आरएफपी जारी करने

पर हमारी टिप्पणियों के उत्तर में, सीजीएचक्यू ने चालू जहाज़ निर्माण परियोजनाओं में असंतोषजनक अनुभव के दृष्टिगत निजी बाड़ों को शामिल न करने को उचित ठहराया। सीजीएचक्यू ने यह भी कहा (अप्रैल 2015) कि मैसर्स एचएसएल को आरएफपी इस तथ्य के आधार पर जारी करने की सिफारिश की गई थी क्योंकि गोदीबाड़ा भारतीय नौसेना के लिए पहले ही जहाज़ निर्माण परियोजनाओं में कार्य कर रहा था। डीडीपी ने यह भी पुष्टि की थी कि एचएसएल के पास एक बड़ी आधारभूत संरचना थी जिसका भली भांति प्रयोग नहीं किया गया था और उसकी इन आठ आईपीवीज़ का निर्माण करने तथा उसे समय पर आपूर्त करने की क्षमता थी।

सीजीएचक्यू का उत्तर निम्नलिखित कारणों से मान्य नहीं है:

- निर्धारित 11 से 16 महीनों के प्रति सीजीएचक्यू/एमओडी ने अनुबंध करने में 40 महीने का समय लिया। अत: इस तथ्य के बावजूद कि तटरक्षक की परिचालन क्षमता इस से बुरी तरह प्रभावित हो रही थी, आईपीवीज़ की अधिप्राप्ति के लिए अनुबंध की प्रक्रिया में कोई तत्परता नहीं की गई।
- केवल पीएसयू/डीपीएसयू गोदीबाड़ों को आरएफपी जारी करना एक बहु-विक्रेता आरएफपी के मुद्दे के लिए सीसीएस संस्वीकृति की भावना के अनुरुप नहीं था, इस प्रकार, केवल पीएसयू/डीपीएसयू गोदीबाड़ों तक प्रतिस्पर्धा सीमित करके प्रतिस्पर्धा का स्तर प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ।
- आईपीवीज़ के डिज़ाईन को अन्तिम रुप देने में मैसर्स एचएसएल की अक्षमता के कारण आपूर्ति में विलम्ब हुआ, जो स्पष्ट रुप से दर्शाता है कि अनुबन्ध करने से पूर्व मैसर्स एचएसएल की क्षमता को पर्याप्त रुप से आकलित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अनुबंध में प्रक्रियात्मक विलम्ब के परिणामस्वरुप दिसम्बर 2008 तथा जुलाई 2013 के बीच सेवा से हटाई गई 13 में से केवल आठ आईपीवीज़ को बदलने में चार से साठ महीने का विलम्ब हुआ, जबकि शेष पांच आईपीवीज़ अभी भी (अगस्त 2015) प्राप्त की जानी थी, जिसके परिणामस्वरूप तटरक्षक की प्रचालनात्मक क्षमता सीमित हुई।